# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –39/2018

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोडेण्ट |
|---|---|---|
| गौतमचन्द पुत्र भंवरलाल जाति लौढ़ा ओसवाल महाजन निवासी पांचोड़ी तहसील खींवसर। | | तहसीलदार, खींवसर |

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 07/03/2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 313/2017 सरकार बनाम गौतम चन्द अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.02.2018 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार खींवसर द्वारा अपीलान्ट को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का एक नोटिस 20.12.2017 की तारीख का देकर जाहिर किया कि अपीलान्ट ने ग्राम पांचोड़ी के खसरा नम्बर 588 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब व दस्तावेज प्रस्तुत कर धारा 91 की कार्यवाही को समाप्त करने की मांग की। दिनांक 01.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश दिया।

अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत विधि विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार का होने से अपास्त किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 752 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि शंकरराम वगैरह के खातेदारी की भूमि थी। इस भूमि खातेदारों ने इस भूमि में से 50 गुणा 300 फुट भूमि का गैर कृषि कार्य हेतु रूपान्तरण करवाया लिया। यह रूपान्तरण पत्रावली संख्या 8/95 दिनांक 10.09.95 को तहसीलदार द्वारा किया गया।

इस 50 गुणा 300 फुट की रूपान्तरित भूमि में से 60 गुणा 50 फुट भूमि दिनांक 19.05.95 को अपीलान्ट की माता ने शंकरराम वगैरह से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामें के खरीद ली और तब से अपीलान्ट की माता कमला देवी इस 60गुणा 50 फुट भूमि की एकमात्र स्वामी काबिज मालिक रही है। इस 60गुणा 50 फुट भूमि में से उत्तर दिशा में 50गुणा 30 फुट भूमि अपीलान्ट की माता ने लादी देवी पत्नी पेमाराम सुथार को बेच दी इस प्रकार बाकी बची 30गुणा50 फुट भूमि की मालिक स्वामी काबिज अपीलान्ट की माता कमलादेवी है। अपीलान्ट की माता ने सन् 1996 में इस 30गुण 50 फुट भूमि पर मकान बना लिया तथा अभी वर्तमान में दो मंजिला मकान बनाया हुआ है। अपीलान्ट की माता मकान के आगे के बने दो कमरे (दुकानें) को व्यवसायिक काम में ले रही है। अपीलान्ट इस सम्पति का मालिक स्वामी काबिज नहीं है, मगर फिर भी अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलत की है।

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)



Scanned by CamScanner

अपीलान्ट की माता ने अपने स्वामित्व की भूमि पर निर्माण कराया है, जो सन् 1996 में ही करा लिया था कोई नया निर्माण नहीं है और न ही रास्ते की भूमि पर निर्माण कराया है। इस निर्माण हो रखी भूमि पर कभी भी रास्ता नहीं रहा और न ही यह भूमि रास्ते की कभी रही है। रास्ता दुकाने के आगे 55 से 60 फुट खुला है। अपने स्वामित्व की भूमि पर कराये निर्माण के लिए धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करने तथा निर्णय पारित करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं होने से अपास्त योग्य है।

इस भूमि बाबत पहले भी अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की गई लेकिन अपीलान्ट द्वारा जबाब प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट को सुनकर धारा 91 की कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय तहसीलदार खींवसर ने पारित किया था। उसी निर्माण यानि दुकानों बाबत पुनः उन्ही पक्षकारों के बीच वापस कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि पूर्व का निर्णय इस भूमि का इन्ही पक्षकारों के बीच होने से रेसज्यूडीकेटा सिद्वान्त से नई कार्यवाही व मुकदमा बाधित था। इसलिए निर्णय अपीलाधीन अपास्त योग्य है।

अपीलाधीन निर्णय पारित होने पर अपीलान्ट की माता तथा अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय नागौर की अदालत में वाद तथा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अपीलान्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होकर मौके की यथास्थिति का आदेश पारित हो रखा है। अपीलान्ट की माता का निर्माण सरकारी चिकित्सालय पटवारी भवन वगैरा से काफी पीछे होते हुए भी धारा 91 की कार्यवाही व निर्णय गलत पारित किया है।

सम्पूर्ण निर्माण अपीलान्ट की माता के स्वामित्व की जायगा में बनी हुई है तथा बाजार क्षैत्र में आवासीय क्षेत्र में स्थित होने से गैर कृषि भूमि होने के कारण धारा 91 की कार्यवाही नहीं हो सकती थी।

अधिनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब का और न ही दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विश्लेषण ही किया। पटवारी की झूठी सूचना को आधार बना लिया। पटवारी बयान हेतु उपस्थित भी नहीं हुआ। पटवारी ने नाप चौप भी नहीं किया और गलत सूचना अतिक्रमण की दी। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अपना माईण्ड अप्लाई नहीं किया, केवल साईक्लोंस्टाईल छपा–छपाया निर्णय पारित कर दिया, जो अपीलाधीन निर्णय अवैध, अन्यायोचित तथा दुराग्रहो से ग्रसित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.02.2018 को अपास्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है, लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक पांचोड़ी से जॉच शुदा पटवारी पांचोडी की रिपोर्ट दिनांक 07.12.2017 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा पांचौड़ी के खसरा नम्बर 588 गै.मु. रास्ता की 0.00.08 बीघा भूमि पर टीन शेड, चौकी व आंशिक पक्की दुकान द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 01.02.2018 से अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से बदेखली का आदेश पारित करते हुए आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में पूर्व इसी वादग्रस्त खसरे पर अपीलान्ट द्वारा पूर्व में अतिक्रमण के संबंध में प्रकरण संख्या 389/2011 सरकार बनाम गौतमचन्द में न्यायालय नायब तहसीलदार खींवसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2011 की प्रति प्रस्तुत की गई, उक्त निर्णय में अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण समाप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय



Scanned by CamScanner

द्वारा उक्त जबाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं विवेचन किये बिना एवं हल्का पटवारी के बयान कलमबद्ध किये बिना ही निर्णय जैर अपील साईक्लोस्टाईल प्रारूप में किया गया है, जो कि उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर को प्रतिप्रेषित कर उपर्युक्त विवेचन में दिये गये तथ्यों में सन्दर्भ में एवं प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि अनुसार निर्णय पारित करने के निर्देश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner